रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082025-265833
CG-DL-E-31082025-265833

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3868] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947
No. 3868] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

का.आ. 3973(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन एक प्रारूप अधिसूचना, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा का.आ. 414(अ), तारीख 29 जनवरी, 2024 द्वारा *भारत* के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां लोकाधिकार क्षेत्र में उपलब्ध करवाई जाने की तारीख से; साठ दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 1 फरवरी, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 या जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 या वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन अनुमोदित परियोजनाओं, कियाकलापों या प्रक्रियाओं की पर्यावरणीय संपरीक्षा नियत सुरक्षोंपायों की अनुपालन को सुनिश्चित करने और पर्यावरणीय

बाध्यताओं के अनुपालन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित पर्यावरणीय मानकों के सन्नियमों और उनकी प्रभावशीलता को सत्यापित करने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन किया जा सके;

और, उन परियोजनाओं, क्रियाकलापों या प्रक्रियाओं की पहचान करना महत्वपूर्ण है, जो लागू पर्यावरणीय विनियमों या मानकों का उल्लंघन करती हैं या विभिन्न हरित अनुमोदनों में उल्लिखित साधारण या विनिर्दिष्ट शर्तों के अननुपालन में हैं; और तदनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाने हैं;

और, पर्यावरणीय मंजूरी, प्रचालन की सहमति और प्राधिकरण सहित सहयुक्त हरित अनुमोदनों में शामिल पर्यावरणीय रक्षोपायों के संबंध में ऐसी परियोजनाओं, क्रियाकलापों या प्रक्रियाओं की नियमित संपरीक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के प्रयोजन के लिए ऐसे परियोजनाओं, क्रियाकलापों या प्रक्रियाओं को करने वाले परियोजना प्रस्तावक द्वारा आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित करके स्व-अनुपालन को तत्पर और प्रोत्साहित करेगा, जिससे अस्तित्वों की समग्र पर्यावरणीय जिम्मेदारी और संसाधन उत्पादकता तथा दक्षता में वृद्धि होगी;

और, पर्यावरण संपरीक्षा का परिणाम पर्यावरण के संरक्षण और पुनरूद्धार की दिशा में हमारे प्रयासों को सुदृढ़ करने और जलवायु कार्रवाई पर भारत सरकार की प्रतिबद्धता के दायित्वों को पूरा करने की बाध्यताओं से उचित और प्रभावी उपाय करने में महत्वपूर्ण इनपुट भी प्रदान करेगा, जिसमें लाइफ (पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली) के सिद्धांतों को अपनाना शामिल है और यह हमारे पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा के लिए इनपुट भी प्रदान करेगा, जिसमें प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन में सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान करना शामिल है, जिससे पर्यावरणीय संकेतकों पर बेहतर प्रदर्शन हो सके;

और, रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षकों के माध्यम से पर्यावरण संपरीक्षा सहित एक प्रभावी पर्यावरण मॉनीटरी ढांचे से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) रेटिंग के साथ-साथ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जलवायु वित्तपोषण, हरित प्रत्यय, प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण और कार्बन ट्रेडिंग के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने के लिए एक सामर्थ्यकारी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की भी अपेक्षा है;

और, पर्यावरण अनुपालन सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाईयों का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, इसलिए परियोजनाओं, क्रियाकलापों या प्रक्रियाओं के एकीकृत पर्यावरण संपरीक्षा के परिणाम हरित प्रत्यय नियम, 2023 में उपयोगी इनपुट प्रदान कर सकते हैं, जिसमें सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाईयों को भी बाजार आधारित प्रणाली के माध्यम से समय के साथ प्रोत्साहित किया जा सकता है और व्यापार योग्य हरित प्रत्यय सृजित किए जा सकते हैं;

और, रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक, अपेक्षानुसार आवश्यक सत्यापन करने के लिए हरित प्रत्यय नियम, 2023 के अधीन 'पदानिहित अभिकरण' के रूप में भी कार्य कर सकता है; यदि उक्त नियमों के अधीन पदानिहित क्रियाकलाप, उक्त नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए 'प्रशासक' द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

और, रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और अन्य ऐसे विद्यानों अधीन बनाए गए विभिन्न गौण विद्यानों या सरकार के मौजूदा नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं या निदेशों के अधीन 'सत्यापनकर्ता' या 'संपरीक्षक' के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है, जो विभिन्न विद्यानों या अधिसूचनाओं या निदेशों जैसे कि इकोमार्क नियम, 2024, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य नियमों के अधीन अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए सत्यापन और संपरीक्षा को अनिवार्य करते हैं, जिसमें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और तद्धीन बनाए गए नियम या विनियम भी शामिल हैं।

और, प्रस्तावित पर्यावरण संपरीक्षा सरकारी अभिकरणों के माध्यम से अनुपालन और मॉनीटरी के विद्यमान तंत्र का विकल्प नहीं है, किंतु यह केवल सरकारी अभिकरणों के मौजूदा प्रयासों को पूरक करने के लिए है, जो आवश्यकतानुसार निरीक्षण और सत्यापन की अपनी विद्यमान भूमिका जारी रखेंगे;

और, संरचनात्मक रीति में पर्यावरण संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए, पर्यावरणीय संपरीक्षा नियम को अधिसूचित करना आवश्यक है, जो पर्यावरण संपरीक्षकों लेखापरीक्षकों के प्रमाणन और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड और प्रक्रिया विहित करते हैं, उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां, बाध्यताएं और दायित्व, तथा प्रणाली और ढांचा अधिकथित करती है, जिन्हें ऐसी संपरीक्षा करने से पहले सुव्यस्थित की आवश्यकता होती है; और

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के अधीन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v), धारा 6, धारा 20 और धारा 25 के साथ पठित प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न पर्यावरणीय विनियमों और नियमों या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित किसी अन्य अधिनियम या नियमों या विनियमों के अधीन विहित परियोजनाओं, क्रियाकलापों या प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय अनुपालन का अभिनिश्चय करने के लिए पर्यावरण संपरीक्षक के प्रमाणन और रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **पर्यावरण संपरीक्षा नियम, 2025 है।**

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासक" से हरित प्रत्यय नियम, 2023 के नियम 7 में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है;

(ग) "प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक" से पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण द्वारा पर्यावरण संपरीक्षा करने और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए अहित प्रमाणित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "अभिहित अभिकरण" से हरित प्रत्यय नियम, 2023 के नियम 13 के अधीन अभिहित अस्तित्व अभिप्रेत है;

(ड.) "पर्यावरण संपरीक्षा " से पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाली किसी परियोजना, कार्यकलाप या प्रक्रिया की व्यवस्थित संपरीक्षा, सत्यापन, परीक्षा, निरीक्षण या विश्लेषण, और रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा किया जाना अभिप्रेत है;

(च) "पर्यावरण संपरीक्षा अभिकरण" से समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अभिकरण या बहुत से अभिकरण, अभिप्रेत हैं, जो पात्रता मानदंड तैयार करने, प्रमाणन के लिए परीक्षा आयोजित करने, प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षकों का रजिस्ट्रीकरण, उनके प्रदर्शन की मॉनीटरी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित पर्यावरण संपरीक्षा के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं;

(छ) "हरित अनुमोदन" से पर्यावरण *(संरक्षण) अधिनियम, 1986*, *वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981*, *जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974*, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, *वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन* या अनुदत्त किसी भी अनुमोदन, मंजूरी, प्राधिकरण, अनुज्ञप्ति या अनुमति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी अन्य लागू नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन अभिप्रेत है;

(ज) "मार्गदर्शक" इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सिद्धांत अभिप्रेत हैं;

(झ) "राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा से पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण या पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण द्वारा पर्यावरण लेखापरीक्षकों को प्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत केन्द्रीय सरकार के यथोचित अनुमोदन के पश्चात नियुक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा" द्वारा आयोजित परीक्षा अभिप्रेत है;

(ञ) "रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक" से एक प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक या एक फर्म या एक निगमित निकाय जिसमें दो या अधिक प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक शामिल हों अभिप्रेत हैं, जो मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के मानदंडों को पूरा करते हैं और पर्यावरण संपरीक्षा करने और समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण द्वारा पंजीकृत हैं।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु संबंधित अधिनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें उक्त अधिनियमों में दिए गए हैं।

3. रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां.- रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, अर्थात् : -

(i) लागू पर्यावरणीय विधियों और विनियमों द्वारा शासित परियोजनाओं, क्रियाकलापों या प्रक्रियाओं की पर्यावरण संपरीक्षा करना;

(ii) उत्सर्जन, बहिःस्राव, अपशिष्टों का नमूना लेना और विश्लेषण करना, तथा स्थापित प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना;

(iii) परियोजना, प्रक्रिया या क्रियाकलाप से संबंधित लागू पर्यावरणीय विनियमों के यथास्थिति किसी भी उल्लंघन या अननुपालन की रिपोर्ट करना;

(iv) जहां कहीं भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, अननुपालन और उल्लंघनों के लिए पर्यावरण प्रतिकर की गणना करना;

(v) मौजूदा विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरण संपरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना;

(vi) हरित प्रत्यय नियम, 2023 के नियम 10 के अधीन स्थापित हरित प्रत्यय रजिस्ट्री से संबंधित सत्यापन क्रियाकलायों को 'अभिहित अभिकरण' के रूप में करना, यदि उक्त नियमों के अधीन 'प्रशासक' द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(vii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिहित अभिकरण के माध्यम से, या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा सौंपे गए पर्यावरण संपरीक्षा को करना, जिसके अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित नियमों में यथा विहित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे के अधीन भी है;

(viii) इकोमार्क नियम, 2024 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अनुसार पर्यावरण संपरीक्षा करना;

(ix) पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006, [का.आ. 1533, तारीख 14 सितंबर , 2006], तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 [का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी , 2011], और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 [सा.का.नि. 37 (अ), तारीख 18 जनवरी , 2019] के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए अनुसार पर्यावरण संपरीक्षा करना;

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सौंपे जाने पर, मौजूदा पर्यावरणीय विधियों, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों के अधीन शासित परियोजनाओं, क्रियाकलापों या प्रक्रियाओं की पर्यावरण संपरीक्षा करना;

(xi) विहित पर्यावरणीय विनियमों, मानकों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं, क्रियाकलापों या प्रक्रियाओं द्वारा प्रस्तुत स्व-अनुपालन रिपोर्टों का सत्यापन करना; और

(xii) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विविनिर्दिष्ट या निदेशित कोई अन्य कृत्य करना।

4. स्थल का दौरा और नमूनाकरण.- रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक को, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या उनके किसी संगठन द्वारा उसे सौंपी गई परियोजनाओं, क्रियाकलापों या प्रक्रियाओं के संबंध में, परिसर में प्रवेश करने, नमूने एकत्र करने, संपरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने और ऐसी अन्य जानकारी या दस्तावेजों तक पहुंचने का अधिकार होगा, जो उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों के उचित निर्वहन के प्रयोजन के लिए सुसंगत और आवश्यक समझे जाएं, जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण (ईएडीए) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां.- पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण की भूमिका और जिम्मेदारियों के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, अर्थात्: -

(i) प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षकों के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड विनिर्दिष्ट करना;

(ii) स्क्रीनिंग पद्धतियों का विकास करना, जिसमें प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक के रूप में प्रमाणन के लिए अर्हित अभ्यर्थियों की पहचान करने के लिए परीक्षाएं और/या अन्य प्रक्रियाएं आयोजित करना भी हो सकता है;

(iii) पर्यावरण परीक्षकों को प्रमाणित करना, जिसके ऐसे प्रमाणीकरण का नवीकरण, निलंबन, वापसी या रद्दकरण भी है;

(iv) प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक के रजिस्ट्रीकरण के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट करना;

(v) प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक का रजिस्ट्रीकरण, जिसमें ऐसे पंजीकरणों का नवीकरण, निलंबन, वापसी या रद्दीकरण भी है;

(vi) रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक के कार्य निष्पादन की मॉनीटरी करना तथा आवश्यकतानुसार निदेश जारी करना;

(vii) प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक और रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और अन्य सुसंगत पहलों के माध्यम से क्षमता निर्माण को सुकर बनाना;

(viii) जहां कहीं भी आवश्यक हो, प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक और रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना;

(ix) प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक और रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक के कामकाज को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत, प्रक्रियाएं और मानक विनिर्दिष्ट करना;

(x) सभी प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षकों और रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षकों के लिए ऑनलाइन रजिस्टर का रख-रखाव, जो सार्वजनिक रूप से सुगम्य होगा;

(xi) प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना तथा इसके प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर रिपोर्ट की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना।

6. पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण की अधिसूचना.— पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा पात्रता मानदंड, निबंधनों व शर्तों, तथा पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण के संबंध में कार्यकाल के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट किया जाए। केन्द्रीय सरकार, संबंधित अभिकरणों के कार्य-निष्पादन के आधार पर, उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय ऐसी अधिसूचना को रद्द कर सकती है। पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण का कार्यकाल, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट मानदंडों की पूर्ति के अधीन, नवीकृत किया जा सकता है।

7. प्रमाणन के लिए तंत्र.- पर्यावरण संपरीक्षकों का प्रमाणन पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण द्वारा निम्नलिखित दो ढंग से किया जाएगा:-

(i) **पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल):** पूर्व अनुभव और विशेषज्ञता पर आधारित प्रमाणन का एक तरीका, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमित अवधि के लिए प्रचालन में रहेगा;

(ii) **राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा (एनसीई):** प्रमाणन हेतु पात्रता का निर्धारण करने के लिए एक संरचित परीक्षा प्रक्रिया।

टिप्पण--पर्यावरण संपरीक्षकों के प्रमाणन के लिए विस्तृत प्रक्रिया वह होगी, जिसके अंतर्गत प्रमाणन के प्रत्येक ढंग के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में प्रदान की जा सकती है।

8. प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तंत्र - प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक जिसके अंतर्गत तकनीकी क्षमता, कार्मिक अर्हताएं, ट्रैक रिकॉर्ड और अन्य सुसंगत मापदंडों के संबंध में पात्रता मानदंड भी हैं, संपरीक्षकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में विविनिर्दिष्ट की जाएगी।

9. प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता की अवधि - प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक का रजिस्ट्रीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जब तक कि इस अधिसूचना के नियम 11 के उपबंधों के अनुसार पहले ही वापिस न कर दिया जाए और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट मानदंडों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

10. पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित और रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक की प्रचालन स्वायत्तता — (1) इन नियमों के उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किंही निदेशों के अधीन रहते हुए, पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन में प्रचालनात्मक और कार्यात्मक स्वायत्तता का प्रयोग करेगी। यह अपने कृत्यों को वृत्ति, निष्पक्ष और पारदर्शी रीति से करने के लिए उत्तरदायी होगी और अपने कामकाज के सभी पहलुओं में यथोचित तत्परता बरतेगी।

(2) रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक, केन्द्रीय सरकार के लागू नियमों और विनियमों तथा उसके द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा।

11. आचार संहिता.— (1) केन्द्रीय सरकार रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक और प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा अनुसरण की जाने वाली आचार संहिता पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगी, जिसमें सत्यनिष्ठा, नैतिकता, गोपनीयता और हितों के टकराव सहित वृत्तिक आचरण के पहलुओं को भी किया जाएगा;

(2) इस नियम के अधीन जिम्मेदारियों के निर्वहन के दौरान तथ्यों या डाटा का दुर्व्यपदेशन, दमन, छिपाव, मिथ्याकरण या किसी अन्य प्रकार का वृत्तिक विरूपण अवचार माना जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक परियोजना और परियोजना प्रस्तावक से संबंधित सभी सूचनाओं के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा। ऐसी गोपनीय जानकारी का कोई भी अप्राधिकृत प्रकटीकरण वृत्तिक अवचार माना जाएगा।

(4) प्रवृत किसी भी विधि के अधीन शुरू की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों के अधीन किसी भी वृत्तिक अवचार के संबंध में निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्रवाईयां की जा सकती हैं:-

(i) **विवर्जन:** केन्द्रीय सरकार को किसी प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक या रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या स्थायी रूप से विवर्जित करने का प्राधिकार होगा।

(ii) **रजिस्ट्रीकरण या प्रमाणन का निलंबन या प्रतिसंहरण :** केन्द्रीय सरकार को किसी भी प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक के प्रमाणन को निलंबित या निरस्त करने तथा किसी भी रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक के प्रमाणन और/या रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या प्रतिसंहत करने का प्राधिकार होगा।

(iii) **लागू विधियों के अधीन कार्रवाई :** सक्षम प्राधिकारी किसी भी प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षक और रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक के विरूद्ध संबंधित अधिनियमों और नियमों या उनके अधीन बनाए गए विनियमों या किसी अन्य लागू विधि के उपबंधों के अधीन कार्यवाही शुरू कर सकता है।

(5) सुनवाई का अवसर दिए बिना इस नियम के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

12. हितों का टकराव.— (1) स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार के हितों के टकराव के निवारण के लिए, संपरीक्षा करने वाले रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षकों को निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए,

(i) किसी सुसंगत परियोजना, प्रक्रिया या क्रियाकलाप के किसी भी स्वामी, संचालक, अधिभोगी या परियोजना प्रस्तावक से संबंधित न हों। ऐसे संबंधों के अंतर्गत नियोक्ता, कारबार साझेदार, कर्मचारी, संपरीक्षा से बाहर संविदात्मक सहयोगी, पति/पत्नी, साझेदार, भाई-बहन, माता-पिता या बच्चे, अथवा इससे अन्य भी कोई, आते हैं, किंतु यह संबंध इन तक ही सिमित नहीं होंगे;

(ii) संपरीक्षिती की सुसंगत परियोजना, प्रक्रिया या क्रियाविधि, या उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सुसंगत कंपनी में कोई वित्तीय हित हो या हुआ हो। जिसके अंतर्गत ऐसी स्थिति शामिल है जहाँ सहयुक्त या किसी संबंधित व्यक्ति के लिए वित्तीय अभिलाभ की युक्तियुक्त संभावना या अपेक्षा भी है;

(iii) परियोजना, प्रक्रिया या क्रियाकलापों को (स्वतंत्र पुनर्विलोकन या संपरीक्षा से भिन्न) इस प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे कि वे स्वयं या उनकी फर्म द्वारा किए गए कार्य की संपरीक्षा कर रहे हों;

(iv) वे संपरीक्षिती, उनके कर्मचारियों या किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई प्रलोभन, कमीशन, उपहार या अन्य फायदा स्वीकार नहीं करेंगे, न ही जानबूझकर सहकर्मियों को ऐसा करने की अनुमति देंगे;

(v) संयुक्त रूप से या अलग-अलग किसी भी संपरीक्षिती की पर्यावरण संपरीक्षा करना जिसके लिए रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक ने पर्यावरण समाधारा निर्धारण, पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की है, या कोई अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो पर्यावरण संपरीक्षा की विषय-वस्तु का हिस्सा है;

(2) रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक, परियोजना प्रस्तावक या केन्द्रीय या राज्य सरकार या उसके अभिकरणों द्वारा उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले इस संबंध में विनिर्दिष्ट रूपविधान में वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

13. पर्यावरण संपरीक्षा के लिए परियोजनाओं के रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक का समनुदेशन - नियम 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट परियोजना अस्तित्वों के लिए को रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक का समनुदेशन **यादृच्छिक समनुदेशन पद्धति द्वारा किया जाएगा।**

14. फीस .— प्रमाणन, रजिस्ट्रीकरण और संपरीक्षा फीस के संदाय की रकम और प्रक्रिया, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी मार्गदर्शक सिंद्धातों के अधीन होगी, और यह प्रमाणित पर्यावरण संपरीक्षा और रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक पर बाध्यकारी होगी।

15. संचालन समिति.— (1) पर्यावरण संपरीक्षा स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संचालन समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: **—**

(i) अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के समाधारा निर्धारण प्रभाग का एक प्रतिनिधि- सदस्य;

(iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन और वन्यजीव प्रभाग का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(iv) विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, इकोमार्क नियमों या किसी अन्य सुसंगत नियमों या विनियमों व्यौहार से संबंधित कार्रवाई करने वाले सीपीसीबी के एक या दो प्रतिनिधि - सदस्य;

(v) क्षेत्रीय कार्यालय या उप-कार्यालय का एक प्रतिनिधि - सदस्य।

(2) संचालन समिति, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, संचालन समिति की बैठक में किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित या सहयोजित कर सकती है।

(3) संचालन समिति नियमों के समग्र कार्यान्वयन, मॉनीटरी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी।

(4) संचालन समिति पर्यावरण संपरीक्षा नियमों और किसी संबंधित मार्ग दर्शक सिद्धांतों के उपबंधों का पुनर्विलोकन करेगी और उनमें संशोधन की सिफारिश करेगी।

(5) संचालन समिति इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सभी ऐसे उपाय करेगी।

16. निदेश देने की शक्ति.-- (1) इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण संपरीक्षा अभिहित अभिकरण, रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक, या प्रक्रिया में शामिल किसी अन्य व्यक्ति या अस्तित्व को निदेश जारी कर सकती है और ऐसे व्यक्ति या अस्तित्व जारी किए गए निदेशों की अनुपालना के लिए बाध्य होंगे।

(2) रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण संपरीक्षा रिपोर्ट और केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट यथास्थिति किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, बाद वाली रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा और पर्यावरण संपरीक्षकों के मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी के यथाचित अनुमोदन के पश्चात कारणों को लेखाबद्ध करते हुए अभिभावी होगा।

17. कठिनाई दूर करने की शक्ति.- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई भी प्रश्न उठता है तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

18. मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति .- केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी, जैसा समुचित समझा जाए।

19. व्यावृत्ति.— (1) इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी अन्य संपरीक्षा को अनिवार्य करने से नहीं रोकती है, जैसा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन समुचित समझे जाने वाले किसी अन्य अभिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित हो।

(2) इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण की क्षति की किसी रिपोर्ट के मामले में कोई कार्रवाई शुरू करने से नहीं रोकती है, और जो इस नियम के अधीन पर्यावरण संपरीक्षा से भिन्न अन्य स्रोतों के माध्यम से उसकी जानकारी में लाई जाती है।

[फा. सं. आईए-जे-11014/3/2021-आईए-I. भाग 1]

अमनदीप गर्ग, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2025

S.O. 3973(E).—Whereas, a draft notification under sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, was published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* S.O. 414(E), dated 29th January, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available in the public domain;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 1st February, 2024;

And whereas, the objections and suggestions as received from the public within the said period have been duly considered by the Central Government;

And whereas, environment audit of the projects, activities or processes, approved under the Environment (Protection) Act, 1986, or Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, or Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, or Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, and Wild Life (Protection) Act, 1972 and rules or regulations framed thereunder are important to ensure compliance of the stipulated safeguards and to verify the compliance of the environmental obligations and norms of environmental standards prescribed by the regulatory authority and their effectiveness in order to prevent, control and abate environmental pollution;

And whereas, it is important to identify projects, activities or processes that are in violation of applicable environmental regulations or standards or are non-compliant with general or specific conditions mentioned in different green approvals; and to accordingly initiate remedial steps for prevention, control and abatement of environmental pollution;

And whereas, regular audit of such projects, activities or processes with respect to environmental safeguards incorporated in associated green approvals including environmental clearance, consent to operate, and authorisation shall prompt and encourage self-compliance by putting in place internal control mechanism by the project proponent undertaking such projects, activities or processes, for the purpose of prevention, control and abatement of environmental pollution, leading to increased overall environmental responsibility and resource productivity and efficiency of the entities;

And whereas, the outcome of environment audit shall also provide important inputs in undertaking appropriate and effective measures aimed at reinforcing our efforts towards conservation and rejuvenation of environment and fulfilling the obligations of Government of India's commitment on climate action including through adopting the principles of LiFE (Lifestyle for Environment) and shall also provide inputs for effective protection of our environment including identifying best practices in prevention, control and abatement of pollution leading to better performance on environmental indicators;

And whereas, an effective environment monitoring framework comprising environment auditing through registered environment auditors is also expected to create an enabling ecosystem for implementing Government's vision on Environment, Social and Governance (ESG) rating by Securities and Exchange Board of India as well as in respect of sovereign green bond, climate financing, green credit, accredited compensatory afforestation, and carbon trading;

And whereas, environmental compliance being an important indicator of positive environmental actions, the outcome of the integrated environment audit of the projects, activities or processes can provide useful inputs into the Green Credit Rules, 2023 wherein positive environmental actions can also be incentivised in due course through market-based mechanisms and can generate tradeable green credits;

And whereas, the registered environment auditor can also act as 'designated agency' under the Green Credit Rules, 2023 to carry out necessary verification, as may be required, for the designated activities under the said rules, if so authorised by the 'Administrator' following the procedure prescribed in the said rules;

And whereas, registered environment auditor can also be engaged as 'Verifier' or 'Auditor' under various subordinate legislations made under the Environment (Protection) Act, 1986 and other such legislations or under extant rules, regulations, notifications or directions of the Government, which mandate verification and auditing for the purposes of ascertaining compliance under various legislations or notifications or directions such as the Ecomark Rules, 2024, E-Waste (Management) Rules, 2022, Plastic Waste Management Rules, 2016 and Battery Waste Management Rules, 2022 and any other rules issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change from time to time including under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, Wild Life (Protection) Act, 1972 and rules or regulations framed thereunder;

And whereas, the proposed environment audit is not an alternate to the existing system of compliance and monitoring through government agencies but is only to supplement the current efforts of the government agencies, which will continue with their existing role of inspection and verification, as and when required;

And whereas, for the purpose of undertaking environment audit in a structured manner, it is necessary to notify the environmental audit rules that prescribes the necessary eligibility criteria and procedure for certification and registration of environment auditors, laying down their roles and responsibilities, obligation and liabilities, and the mechanism and framework, which need to be put in place before undertaking such audits; and

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3, section 6, section 20 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules for certification and registration of environmental auditor for ascertaining environmental compliance of the projects, activities or processes prescribed under various environmental regulations and rules or under any other Act or rules or regulations pertaining to Environment, Forest and Climate Change, namely: —

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the **Environment Audit Rules, 2025**.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

a. **"Act"** means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

b. **"Administrator"** means the Administrator referred to in rule 7 of Green Credit Rules, 2023;

c. **"Certified Environment Auditor"** means an individual certified by the Environment Audit Designated Agency as qualified to undertake environment audits and for performing such other functions;

d. **"designated agency"** means an entity designated as such under rule 13 of the Green Credit Rules, 2023;

e. **"environment audit"** means a systematic audit, verification, examination, inspection, or analysis of any project, activity or process having a bearing on the environment, and undertaken by the Registered Environment Auditor;

f. **"Environment Audit Designated Agency"** means the agency or agencies, as notified by the Central Government from time to time, responsible for overall management of the Environment Audit including drawing up eligibility criteria, conducting examination for the certification, registration of Certified Environment Auditors, monitoring of their performance, trainings and capacity building;

g. **"green approvals"** means any approval, clearance, authorisation, licence, or permission granted under the *Environment (Protection) Act, 1986,* the *Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981*, the *Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974,* the *Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980,* the *Wild Life (Protection) Act, 1972* or under any other applicable rules, regulations, notifications, or orders issued by the Central Government or any State Government from time to time;

h. **"guidelines"** means the guidelines issued from time to time by the Central Government under these rules;

i. **"National Certification Examination"** means the examination conducted by the Environment Audit Designated Agency or by any other agency engaged by Environment Audit Designated Agency after due approval of the Central Government for the purpose of certifying Environment Auditors;

j. **"Registered Environment Auditor"** means a certified environment auditor or a firm or a body corporate comprising two or more certified environment auditors, who meet the criteria for registration as specified in the guidelines and are registered by Environment Audit Designated Agency for undertaking environment audits and for performing such other functions as may be prescribed by the Central Government from time to time.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein, but defined in the respective Acts, shall have the meanings respectively assigned to them in the said Acts.

3. **Roles and responsibilities of Registered Environment Auditors.—** The roles and responsibilities of Registered Environment Auditors shall include, but not be limited to the following, namely:—

i. undertaking environment audits of projects, activities, or processes governed by applicable environmental laws and regulations;

ii. conducting sampling and analysis of emissions, effluents, wastes, and evaluating the effectiveness of pollution control and waste management systems installed;

iii. reporting any violations or non-compliance of applicable environmental regulations related to the project, process, or activity, as the case may be;

iv. computing environment compensation for non-compliance and violations, wherever required by the competent authority;

v. preparing and submitting environment audit reports in accordance with extant regulations and guidelines;

vi. carrying out verification activities related to the Green Credit Registry established under rule 10 of the Green Credit Rules, 2023 as a 'designated agency,' if authorised by the 'Administrator' under the said rules;

vii. to undertake environment audit assigned by the Central Pollution Control Board, either directly or through a designated agency, or by the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, including under the Extended Producer Responsibility framework as prescribed in the rules notified under the Environment (Protection) Act, 1986;

viii. to undertake environment audit, as assigned by the competent authority, under the provisions of the Ecomark Rules, 2024;

ix. to undertake environment audit as assigned by the Competent Authority under Environment Impact Assessment Notification, 2006, [S.O. 1533, dt 14th September, 2006], Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2011 [S.O.19 (E), dt 6th January, 2011], and Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2019 [G.S.R. 37(E), dt 18th January, 2019];

x. to undertake, upon assignment by the project proponent, environment audits of projects, activities, or processes governed under extant environmental laws, rules, regulations, notifications and orders;

xi. verifying self-compliance reports submitted by projects, activities, or processes to ensure adherence to prescribed environmental regulations, standards and conditions; and

xii. performing any other functions as may be specified or directed by the Central Government from time to time.

4. Site visit and sampling.— The Registered Environment Auditor, in respect of the projects, activities, or processes assigned to it by the Central Government, State Government, or any of their organisations, shall have the authority to enter the premises, collect samples, obtain audit evidence, and access such other information or documents as may be deemed relevant and necessary for the purpose of proper discharge of their assigned responsibilities, which shall be made available by the project proponent.

5. Roles and responsibilities of the Environment Audit Designated Agency (EADA).— The roles and responsibilities of the Environment Audit Designated Agency shall include, but not be limited to, the following, namely:—

i. specifying minimum eligibility criteria for Certified Environment Auditors;

ii. developing screening methodologies, which may include conducting examinations and/or other processes to identify qualified candidates for their certification as Certified Environment Auditor;

iii. certifying environment auditors including renewal, suspension, withdrawal, or cancellation of such certifications;

iv. specifying the criteria for registration of the Certified Environment Auditor;

v. registration of the Certified Environment Auditor including renewal, suspension, withdrawal, or cancellation of such registrations;

vi. monitoring the performance of Registered Environment Auditor and issuing directions as necessary;

vii. facilitating capacity building through training programs, workshops, seminars, conferences, online courses, and other relevant initiatives for Certified Environment Auditor and Registered Environment Auditor;

viii. taking disciplinary action against Certified Environment Auditor and Registered Environment Auditor, wherever required;

ix. specifying guidelines, procedures, and standards governing the functioning of Certified Environment Auditor and Registered Environment Auditor;

x. maintaining an online register of all Certified Environment Auditors and Registered Environment Auditors, which shall be publicly accessible;

xi. publishing an annual report of its activities within six months from the end of each financial year, and submitting a copy of the report to the Central Government within thirty days of its publication.

6. Notification of Environment Audit Designated Agency.— The Environment Audit Designated Agency shall be notified by the Central Government on the basis of the eligibility criteria, the terms and conditions, and tenure in respect of Environment Audit Designated Agency as may be specified in the guidelines issued by the Central Government from time to time. The Central Government may, based on the performance of the respective agency, revoke such notification at any time before the expiry of its tenure. The tenure of Environment Audit Designated Agency may be renewed, subject to fulfilment of such criteria as may be specified in the guidelines issued by the Central Government.

7. Mechanism for Certification.— The certification of environment auditors shall be carried out by the Environment Audit Designated Agency through the following two modes:-

i. **Recognition of Prior Learning (RPL):** A mode of certification based on prior experience and expertise, which shall remain in operation for a limited period as may be specified by the Central Government;

ii. **National Certification Examination (NCE):** A structured examination process for assessing eligibility for certification.

Note.— The detailed procedure for certification of environment auditors including the minimum eligibility criteria for each mode of certification shall be such as may be provided in the guidelines issued by the Central Government.

8. Mechanism for registration of Certified Environment Auditors.— The detailed procedure for registration of Certified Environment Auditors including the eligibility criteria with respect to technical capacity, personnel qualifications, track record, and other relevant parameters, shall be as specified in the guidelines issued by the Central Government.

9. Period of validity of registration of Certified Environment Auditor.— The registration of Certified Environment Auditor shall be valid for a period of five years, unless revoked earlier in accordance with the provisions of rule 11 of this notification, and shall be renewable subject to the fulfilment of criteria as specified in the guidelines issued by the Central Government from time to time.

10. Operational Autonomy of Environment Audit Designated Agency and Registered Environment Auditor.— (1) Subject to the provisions of these rules and any directions that may be issued by the Central Government from time to time, the Environment Audit Designated Agency shall exercise operational and functional autonomy in the discharge of its roles and responsibilities. It shall be responsible for performing the functions in a professional, impartial, and transparent manner, and shall exercise due diligence in all aspects of its functioning.

(2) The Registered Environment Auditor shall act in accordance with the applicable rules and regulations of the Central Government and the guidelines issued by it, time to time.

11. Code of Conduct.— (1) The Central Government shall issue guidelines on the code of conduct to be followed by the Registered Environment Auditor and Certified Environment Auditor, incorporating aspects of professional conduct including integrity, ethics, confidentiality, and conflict of interest;

(2) Misrepresentation, suppression, concealment, falsification, or any other form of distortion of facts or data during the discharge of responsibilities under this Rules shall be deemed as professional misconduct.

(3) Registered Environment Auditor shall maintain strict confidentiality concerning all information related to the project and the project proponent. Any unauthorised disclosure of such confidential information shall be treated as professional misconduct.

(4) Without prejudice to any other action that may be initiated under any law in force, one or more of the following actions may be taken in respect of any professional misconduct under these rules:-

i. **Debarment:** The Central Government shall have the authority to debar any Certified Environment Auditor or Registered Environment Auditor, for a specified period or permanently.

ii. **Suspension or Revocation of Registration or Certification:** The Central Government shall have the authority to suspend or revoke the certification of any Certified Environment Auditor and certification and/or registration of any Registered Environment Auditor.

iii. **Action under applicable laws:** The Competent Authority may initiate proceedings against any Certified Environment Auditor and Registered Environment Auditor under the provisions of respective Acts and rules or regulations framed thereunder or under any other applicable law.

(5) No action shall be taken under this rule without affording an opportunity of being heard.

12. Conflict of Interest.— (1) To ensure independence and prevent any conflict of interest, Registered Environment Auditor undertaking audits shall not,—

i. be related to any owner, operator, occupier, or project proponent of the relevant project, process, or activity. Such relationships include, but are not limited to, employer, business partner, employee, contractual associate outside the audit, spouse, partner, sibling, parent, or child;

ii. have or have had any pecuniary interest in the relevant project, process, or activity of the auditee, or in its holding, subsidiary, or associated company. This includes any situation where there is a reasonable likelihood or expectation of financial gain for the auditor or any related person;

iii. have provided services (other than independent reviews or auditing) to the project, process, or activity such that they would be auditing work performed by themselves or their firm;

iv. accept any inducement, commission, gift, or other benefit from the auditee, their employees, or any interested party, nor knowingly permit colleagues to do so;

v. jointly or severally undertake the environment audit of any auditee for whom the Registered Environment Auditor has prepared the Environmental Impact Assessment, Environmental Management Plan (EMP), or submitted any other report that forms part of the subject matter of the Environment Audit;

(2) The Registered Environment Auditor shall submit an undertaking in the format specified in this regard before taking up any task, which may be assigned, to it either by the Project Proponent or by the Central or State Government or its Agencies.

13. Assignment of Registered Environment Auditor to Projects for Environment Audit.— Subject to the provisions of rule 12, the assignment of Registered Environment Auditor to specific project entities shall be done by a random assignment method.

14. Fee.— The amount and procedure for payment of the certification, registration and audit fee shall be subject to any guidelines issued by the Central Government in this regard, and the same shall be binding on the Certified Environment Auditor and Registered Environment Auditor.

15. Steering Committee.— (1) There shall be a steering committee to oversee the implementation of the Environment Audit Scheme. The Committee shall comprise of the following members:—

i. Additional Secretary, MoEFCC-Chairperson;

ii. One representative of the Impact Assessment Division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change- Member;

iii. One representative of the Forest and Wildlife Division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member;

iv. One or two representatives of the CPCB dealing with various waste management rules, Ecomark Rules or any other relevant rules or regulations – Member;

v. One representative of the Regional Office or Sub-Office – Member.

(2) The Steering Committee may, with the prior approval of the Chairperson, invite or co-opt any other person to the meeting of the Steering Committee.

(3) The Steering Committee shall be responsible for the overall implementation, monitoring, and supervision of the rules.

(4) The Steering Committee shall review and recommend amendment, in the provisions of the Environment Audit Rules and any related guidelines.

(5) The Steering Committee shall take all such measures as it considers necessary for the effective implementation of these rules.

16. Power to give directions.— (1) For the effective implementation of these rules, the Central Government may issue directions to the Environment Audit Designated Agency, Registered Environment Auditor, or any other person or entity involved in the process and such persons or entities shall be bound to comply with the directions so issued.

(2) In the event of any conflict between the Environment Audit Report submitted by a Registered Environment Auditor and that submitted by an Officer or official of the Central or State Government, the latter shall be deemed to be final, as the case maybe, and shall prevail for reasons to be recorded in writing and after due approval of the Joint Secretary or equivalent level officer-in-charge of the affairs of Environment Auditors.

17. Power to remove difficulty.— If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government thereon shall be final.

18. Power to issue guidelines.— The Central Government may, for the purpose of effective implementation of these rules, issue guidelines from time to time, as deemed appropriate.

19. Savings.— (1) Nothing contained herein prevents mandating any other audit by the Central Government, as may be required from time to time by any other agency as deemed appropriate under the facts and circumstances of the case.

(2) Nothing contained herein prevents the Central Government from initiating any action, in case of any report of damage to environment, and which is brought to its knowledge through sources other than that through environment auditing under this Rules.

[F. No. IA-J-11014/3/2021-IA-I.Part 1]

AMANDEEP GARG, Addl. Secy.

+

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.31 17:18:29 +05'30'